बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संoसंo–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–...............................

डॉ० हर्षवर्द्धन कुमार गोविन्दा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंगलवा, धरहरा, मुंगेर द्वारा आवेदन समर्पित कर अवगत कराया गया कि विभागीय अधिसूचना सं०–1017(2) दिनांक–11.09.2020 के आलोक में योगदान कर डॉ० गोविन्दा दिनांक–14.09.2020 से 07.07.2021 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित थे। विभागीय अधिसूचना सं०–657(2) दिनांक–30.06.2021 द्वारा डॉ० गोविन्दा को सदर अस्पताल, मुंगेर मे पदस्थापित किया गया। उनके द्वारा निजी कारणों से त्याग पत्र समर्पित किया गया, जिसे विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सका है। डॉ० गोविन्द द्वारा दिनांक–06.03.2024 को स्थिति सामान्य होने पर सिविल सर्जन, मुंगेर के समक्ष योगदान देने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया। पुनः डॉ० गोविन्दा द्वारा दिनांक–06.12.2024 को विभाग में पूर्वपदस्थापित स्थान पर योगदान स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. डॉ० गोविन्दा द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु किये गये अनुरोध के समीक्षोपरात डॉ० गोविन्दा का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेशित किया जाता है कि डॉ० गोविन्दा को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कराया जाय। डॉ० गोविन्दा का योगदान करने की सूचना से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० हर्षवर्द्धन कुमार गोविन्दा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंगलवा, धरहरा, मुंगेर के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विहित प्रपत्र मे आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) 45(9)/ **पटना, दिनांकः–** 14.01.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुंगेर को निदेशित किया जाता है कि डॉ० हर्षवर्द्धन कुमार गोविन्दा के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः–डॉ० हर्षवर्द्धन कुमार गोविन्दा, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंगलवा, धरहरा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/01/2025

सरकार के अवर सचिव।